न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–3 / 2025

GCMS NO:- 2025/14

दायर दिनांकः 09.01.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हजारीलाल आ0 कल्याण जाति कुमावत नि0 आंतरदा हाल तापडीया फेक्ट्री, अशोक नगर जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

शिवराज उर्फ श्योजी आ0 मांगीलाल जाति कुमावत नि0 आंतरदा तहसील नैनवॉ (कुल 12)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामबिलास साहू।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीणा।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम आंतरदा मे खाता संख्या 194 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1275, 1276, 1277, 1409 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1681 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम आंतरदा से होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1414 व 1415 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे पहुंचता है जो लगभग 15 फीट चौडा है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते से होकर ही प्रार्थी अपने कृषि उपकरणों को अपने खेत मे लाता ले जाता है। अप्राथ्री संख्या 1 के मन मे बदयान्ति आ जाने से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित रास्ते मे बाधा डाल रहा है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते के एवज मे आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मीणा द्वारा वकालातनामा पेश किया गया।

आज दिनांक 31.07.2025 को प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 1275, 1276, 1277, 1409 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ